संख्या 193 /XVII(4)/2012/42/04

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अनुसचिव,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

महिला सश0 एवं बा0 वि0 विभाग, देहरादूनः दिनांक 18 **अप्रैल, 2012**

विषयः– आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम हेतु किराये के वाहन की स्वीकृति सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 9–3/2008–सी0डी0111 दिनांक 5–5–2010 एवं निदेशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 9–3/2008–सी0डी0111 दिनांक 13–7–2009 के क्रम में अवगत कराना है कि सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 725/XVII(2)/2010 दिनांक 05.08.2010 के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत 41 वाहन/गाडियों को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति वर्ष 2010–12 तक प्रदान की गयी थी। वर्तमान में 31.03.2012 को यह अवधि समाप्त हो गयी है। इस अवधि के समाप्त होने के कारण किराये पर रखे गये 41 वाहनों का संचालन बन्द हो गया है, जिसके कारण आई0सी0डी0एस0 योजना के अनुश्रवण,मूल्यांकन एवं आई0सी0डी0एस0 संबंधी कार्यो पर विपरीत असर पड रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारियों एवं बा0वि0परि0अधिकारी द्वारा वाहन की मांग की जा रही है अतः अनुरोध है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रमो/गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के लिये संलग्न सूची के अनुसार 78 वाहनो को किराये पर रखने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

2. आपके उक्त पत्र में किराये के वाहन हेतु प्रतिमाह अनुमानित रू0 18000/- का प्राविधान एवं वार्षिक रू0 2.15 लाख का अधिकतम प्राविधान किया गया था। वर्तमान समय में मंहगाई बढ़ने के कारण एवं उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक पर्वतीय स्थिति होने के कारण पर किराये पर रखे जाने वाले वाहन की [illegible] श्री कृपया निम्नवत [illegible] करें।
[illegible] हेतु रखे जाने वाले प्रत्येक वाहन की अधिकतम देय धनराशि रू0 4.00 लाख प्रतिवर्ष।

ब– जिला सैल हेतु 3.50 लाख प्रतिवर्ष।
स– परियोजना सैल हेतु रू0 3.00 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम किये जाने का अनुरोध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से किया जाना है।
संलग्नक–यथोपरि

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
" सचिव

संख्या 993 (1)/XVII(4)/2011/191/10 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2– निदेशक आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संलग्नक–

सैल का नाम	स्वीकृत सैलो की संख्या	वर्तमान में उपलब्ध वाहन				वाहनों की कुल आवश्यकता
		पैट्रोल चलित	डीजल चलित	किराये के वाहन	कुल	
स्टेट सैल	01	0	01	0	01	04
जनपद सैल	13	0	06	0	06	07
परियोजना सैल	105	19	19	0	38	67
योग	119	19	26	0	45	78